07/07/22 भगवती देवी श्री उभयपक्ष अनु०।
न्यायालय समक्ष कि वादीगण वकील के
मार्फत तीन बार आवाज लगाई, लेकिन
वादीगण की अपील के लिये उपस्थित नहीं हुआ,
अतः वादीगण का वाद आज पैरवी अभाव
खारिज कि स्वतंत्र किया जाता है। भगवती
पिता के ऊपर हुआ विवाद दफा 151 CPC
से का है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:38:42 IST
Reason: SelfAttested